पटना, बुधवार
10.07.2019 | प्रभात खबर

खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटेगी

रेरा के पहले वाले गैर रजिस्टर्ड रियल इस्टेट को मिलेगी राहत

संवाददाता ▷ पटना

रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि रेरा अधिनियम के पहले के बिना रजिस्ट्रेशन करानेवाले रियल इस्टेट को राहत मिलेगी. इस दिशा में सरकार से वार्ता चल रही है. 2017 में रेरा प्रभावी हुआ है. उसके पहले के बहुत से रियल इस्टेट या अपार्टमेंटों की खरीद-बिक्री पर एक्ट की सही व्याख्या नहीं होने के कारण रोक लगा दी गयी है. सरकार से मंजूरी मिलते ही ऐसे रियल इस्टेट की खरीद-बिक्री पर से रोक हटा ली जायेगी, जिससे इस

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह.

क्षेत्र में तेजी आयेगी. रेरा चेयरमैन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक करीब 700 प्रोजेक्टों का निबंधन कराया जा चुका है. इनमें 25-30% ● बाकी पेज 15 पर

रेरा के पहले...

प्रोजेक्टों का निबंधन कराना बाकी है. उन्होंने बताया कि अब रियल इस्टेट के एजेंटों को भी रेरा में पंजीकरण कराना होगा. जबसे रेरा प्रभावी हुआ है, उसके बाद से चेतावनी का असर दिखने लगा है. खरीदारों को इसके कारण राहत मिल रही है. करीब 30-40 लोगों को रेरा ने राहत दी है, जबकि करीब 50 खरीदारों के पैसे लौटवाये गये हैं. अमानुल्लाह ने बताया कि रेरा का दायरा अब पटना से बाहर भी बढ़ाया जायेगा, जिससे लाभार्थियों को इसका फायदा पहुंचाया जा सके.